(वाद सं0–2957/4/24/2021)

06.09.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, संजीव पासवान (सामाजिक कार्यकर्त्ता) एवं अन्य ग्रामीणगण की ओर से दाखिल परिवाद–पत्र जो मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गनी के विरूद्ध सरकारी गैरमजरूआ भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर जाली दस्तावेज के आधार खरीद–बिक्री कर मोटी रकम वसूली कर सरकारी संपत्ति को हड़पने से संबंधित है।

उपरोक्त के संबंध में अंचलाधिकारी, अस्थावाँ, नालन्दा (बिहार शरीफ) के पत्रांक–695, दिनांक–02.07.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गनी सभी साकिन–जाना, थाना संख्या–263 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को सत्य पाया गया है।

अंचलाधिकारी, अस्थावाँ, नालन्दा (बिहार शरीफ) के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक–26.07.2021 को पारित आदेश में सरकारी गैरमजरूआ भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर जाली दस्तावेज के आधार खरीद–बिक्री कर मोटी रकम वसूली कर सरकारी संपत्ति को हड़पने वाले मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गनी सभी साकिन–जाना के विरूद्ध सरकारी राशि की वसूली हेतु विधिनुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने के साथ ही अंचल कार्यालय में संधारित पंजी–2 (Register-2) में उनके तथा उनके वंशावली के सदस्यों के नाम से कायम सरकारी गैरमजरूआ भूमि की जमाबंदी को रद्द कर सरकारी भूमि की संरक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहार शरीफ) के पत्रांक–796/सा0, दिनांक–20.07.2021 द्वारा समर्पित

प्रतिवेदन में निम्नांकित भूखण्ड का खरीद–बिक्री किये जाने का उल्लेख किया गया है :–

क्र0	मौजा	थाना नं0	असामी का नाम	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	किस्म भूमि
1	जाना	263	गैरमजरूआ मालिक	1157	3440	0.12.5 एकड़	खत्ता
2	जाना	263	गैरमजरूआ आम	1158	1738	0.24 एकड़	पैइन
3	जाना	263	गैरमजरूआ आम	1158	1739	0.36 एकड़	बाँध
4	जाना	263	गैरमजरूआ आम	1158	1780	0.45 एकड़	नाला

जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा अंचलाधिकारी, अस्थावाँ को उपरोक्त प्रश्नगत भूखण्ड का जमाबंदी हेतु जमाबंदी रद्दीकरण करने हेतु निर्देश दिया गया है, परन्तु सरकारी गैरमजरूआ भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर जाली दस्तावेज के आधार खरीद–बिक्री कर मोटी रकम वसूली कर सरकारी संपत्ति को हड़पने वाले मो0 शमीम, मो0 अब्दुल रकीब एवं मो0 नय्यर पिता–अब्दुल गनी सभी साकिन–जाना के विरूद्ध सरकारी राशि की वसूली हेतु विधिनुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को नहीं दिया गया है। इसप्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक–06.07.2021 को पारित आदेश का अनुपालन जिला पदाधिकारी, नालन्दा तथा अंचलाधिकारी, अस्थावाँ द्वारा पूर्णरूपेण नहीं किया गया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा **गंभीर प्रकृति के उपरोक्त मामले के संबंध में दिनांक–26.07.2021 को पारित आदेश का अनुपालन पूर्णरूपेण नहीं जाने से संबंधित प्राधिकार की मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता परिलक्षित होता है जिसके लिए राज्य आयोग क्षोभ प्रकट करती है।**

कार्यालय, **आज पारित आदेश के साथ दिनांक–26.07.2021 के आदेश की प्रति संलग्न कर आदेश का पूर्णरूपेण अनुपालन हेतु अंचलाधिकारी, अस्थावाँ को नोटिस निर्गत (ई0–मेल एवं फैक्स के**

माध्यम से भी) कर दिनांक–04.10.2021 के पूर्व तक अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की जाय।

अंचलाधिकारी, अस्थावाँ को भेजे जानेवाले पत्र की प्रति (सभी अनुलग्नकों सहित) **जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहार शरीफ) एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय तथा उसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।**

संचिका दिनांक–07.10.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक